

**\*प्रेस नोट संख्या – 46\***

**\*दिनांक – 25.05.2026\***

**\*सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस\***

**\*थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा।\***

**\*\*“आपरेशन चक्रव्यूह” के तहत 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार, पकड़े जाने से बचने के लिये पुलिस टीम पर किया था फायर।\***

**\*01 अदद तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 01 खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी का गैस सिलेण्डर, गैस चूल्हा, गैस पाइप, 01 बण्डल पाइप, व चोरी करने के औजार 01 सब्बल, 01 प्लास, 01 पेंचकस, 01 टॉर्च बरामद।\***

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में **\*\*“आपरेशन चक्रव्यूह”\*** के तहत अपराध व अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रघुपुर गांव के पास बोलेरो वाहन सवार कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर **\*थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया।\*** पुलिस द्वारा घेरकर हिकमतअमली से बोलेरो के पास से 04 अभियुक्तों 01. नितिन उर्फ दन्ना पासी पुत्र रामनरेश निवासी पूरे पासी मजरे जंगल रामनगर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष, 02. परमानन्द यादव पुत्र चन्द्रिका प्रसाद यादव निवासी ग्राम मिश्रौली थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष, 03. राज यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी ग्राम पचेहरी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 29 वर्ष, 04. सलमान पुत्र राशिद निवासी ग्राम वार्ड नं0 19 तेजी का पुरवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त नितिन उर्फ दन्ना पासी के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त परमानन्द यादव के कब्जे से 01 अदद प्लास, अभियुक्त सलमान के पास से 01 अदद प्लास्टिक की टॉर्च व 01 अदद पेंचकस, बोलेरो से 01 अदद लोहे का सब्बल बरामद हुआ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामदशुदा बोलेरो व औजारों के संबंध में बताया कि पकड़े जाने के डर से इसी बोलेरो की नंबर प्लेट बदलकर हम लोग चोरी की घटना करते हैं व बरामद इन्हीं औजारों से घर का ताला व दीवाल काटकर नकब लगाकर घरों में चोरी करते हैं। हम लोग प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली में चोरी करने जा रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कौहार से 01 लैपटॉप, 01 गैस सिलेण्डर, 01 गैस चूल्हा, 01 गैस पाइप, 01 बण्डल पाइप चोरी किया था, जिसे मिश्रौली मोड़ के पास खाली पड़े मकान में छिपा कर रख दिया था तथा लैपटॉप को तोड़-फोड़कर फेंक दिया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी किये गये अन्य सामान 01 गैस सिलेण्डर, 01 गैस चूल्हा, 01 गैस पाइप, 01 बण्डल पाइप बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार सभी अभियुक्त एक शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नितिन उर्फ दन्ना पासी एक अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद रायबरेली व अमेठी में मारपीट, हत्या के प्रयास आदि विभिन्न धाराओं में कुल 05 अभियोग, अभियुक्त परमानन्द यादव के विरुद्ध मारपीट, चोरी, आबकारी अधि0, गुण्डा आदि विभिन्न धाराओं में कुल 08 अभियोग, अभियुक्त सलमान के विरुद्ध विरुद्ध मारपीट, चोरी आदि विभिन्न धाराओं में कुल 04 अभियोग व अभियुक्त राज यादव के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है।\***

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-\***

1. नितिन उर्फ दन्ना पासी पुत्र रामनरेश निवासी पूरे पासी मजरे जंगल रामनगर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष।
2. परमानन्द यादव पुत्र चन्द्रिका प्रसाद यादव निवासी ग्राम मिश्रौली थाना गौरीगंज जनपद अमेठी 22 वर्ष।
3. राज यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी ग्राम पचेहरी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. सलमान पुत्र राशिद निवासी ग्राम वार्ड नं0 19 तेजी का पुरवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

**\*बरामदगी-\***

1. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. चोरी का गैस सिलेण्डर, गैस चूल्हा, गैस पाइप, 01 बण्डल पाइप।
3. चोरी करने के औजार 01 सब्बल, 01 प्लास, 01 पेंचकस, 01 टॉर्च।
4. 01 बोलेरो कार यूपी 33 एयू 1474 (207 एमवी एक्ट)।

**\*पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***

- मु0अ0सं0 132/26 धारा 313, 109(1), 336(3), 317(2), 318(2), 3(5), 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

- मु0अ0सं0 130/26 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी। उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कौहार में चोरी से संबन्धित)

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

1. श्री रवि सिंह प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० दिवाकर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० वीरेन्द्र कुमार पाल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. उ०नि० राजेश यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. हे०का० दिनकर प्रसाद थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. का० पवन कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. का० दिलीप यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
8. का० देवेन्द्र दुबे थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
9. का० श्रीचन्द्र यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त परमानन्द यादव का आपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं० 129/2022 धारा 323/506/427/308 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 247/2022 धारा 323/504/506/323 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 323/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. मु०अ०सं० 107/2024 धारा 323/504/506/34 भादवि व धारा 3(1)(द)(घ) 3(2)(va) SC/ST ACT थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 109/2024 धारा 186/188/323/332/353 IPC व धारा 9/25 A ACT व धारा 7 CLA ACT थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. मु०अ०सं० निल/2025 धारा 2(ख)(i)/3 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 58/2026 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
8. मु०अ०सं० 129/2026 धारा- 115(2), 352,351(3),324(4),3(5) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं० 129/2022 धारा 323/506/427/308 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 247/2022 धारा 323/504/506/323 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 107/2024 धारा 323/504/506/34 भादवि व धारा 3(1)(द)(घ) 3(2)(va) SC/ST ACT थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. मु०अ०सं० 129/2026 धारा- 115(2), 352,351(3),324(4),3(5) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त नितिन उर्फ दन्ना पासी का आपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं० 197/2018 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 01/2025 धारा 109/(1)/117(2)/127(2)/190/191(2)/191(3)/351(3)/352/61(2) बी.एन.एस. थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली ।
3. मु०अ०सं० 17/2025 धारा 109(1) बी.एन.एस. व धारा 5/27 आर्म्स एक्ट थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
4. मु०अ०सं० 20/2025 धारा 109(1) बी.एन.एस. व धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 129/2026 धारा- 115(2), 352,351(3),324(4),3(5) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी,

**\*गिरफ्तार अभियुक्त राज यादव का आपराधिक इतिहास-\***

- मु०अ०सं० 129/2026 धारा- 115(2), 352,351(3),324(4),3(5) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।